

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग- 4

देहरादून : दिनांक 11 फरवरी, 2015

विषय : राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन किये जाने विषयक।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य में "मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना" का शुभारम्भ दिनांक 26 जनवरी, 2015 से किये जाने का सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

1- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत राज्य के समस्त परिवारों (आयकर दाताओं तथा राजकीय कर्मचारी/अधिकारी के परिवारों एवं सेवानिवृत पेंशनधारी परिवारों को छोड़कर) को सम्मिलित किया जायेगा। प्रस्तावित मा०मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का स्वरूप निम्नवत् है :-

1. राज्य में पूर्व से ही संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त ग्रामीण बी०पी०एल० परिवार (6.23 लाख अनुमानित परिवार) तथा ऐसे परिवार जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों का रोजगार नरेगा के अंतर्गत प्राप्त किया है (कुल संख्या अनुमानित 2.48 लाख परिवार) एवं शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त परिवारों (1.50 लाख अनुमानित परिवार) को पंजीकृत किया जा सकता है। (वर्तमान में उक्त श्रेणी में से केवल 2.85 लाख ग्रामीण बी०पी०एल० परिवारों को ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल पा रहा है) उक्त समस्त परिवारों को, जोकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किये जा सकते हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा।
2. राज्य के समस्त ए०पी०एल० परिवारों (आयकर दाताओं तथा राजकीय कर्मचारी/अधिकारी के परिवारों एवं सेवानिवृत पेंशनधारी परिवारों को छोड़कर) को मा० मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित किया जायेगा।
3. मा०मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु डाटा बेस के निर्धारण के लिए निम्नलिखित संस्थाओं के डाटा का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है :-
 (क) शहरी विकास विभाग द्वारा एकत्रित "बी०पी०एल०" के डाटा के आधार पर (1.5 लाख परिवार)
 (ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एकत्रित "बी०पी०एल०" के डाटा के आधार पर (6.23 लाख परिवार)
 (ग) राज्य के वे परिवार जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में 15 दिनों से अधिक का रोजगार नरेगा के अंतर्गत प्राप्त किया है। (ग्राम्य विकास के नरेगा प्रकोष्ठ से प्राप्त डाटा के आधार पर) (2.48 लाख परिवार)
 (घ) निर्वाचन आयोग द्वारा एकत्रित मतदाताओं के डाटाबेस के आधार पर (कुल 70.45 लाख मतदाता)

2- मानव्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवारों को आळादित किये जाने की प्रक्रिया का

निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :-

1. निवाचन आयोग द्वारा एकत्रित मतदाताओं के डाटाबेस के आधार पर कुल 70.45 लाख मतदाता को आधार बना कर राज्य के समरत परिवारों की एक अंतरिक्ष सूची का गठन एन0आई0सी0 की सहायता से किया जायेगा, जिससे परिवारों के जनपदवार, ब्लाकवार, ग्रामवार परिवारों की स्थिति एवं परिवारों के संभावित मुख्यिया का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या, पति / पिता का नाम, लिंग एवं आयु एवं संभावित परिवारों में 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों की संख्या की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
2. उपरोक्तानुसार तैयार की गयी सूची को ग्रामवार आशाओं एवं १००न००८० को उपलब्ध करवायी जायेगी। इस सूची के साथ उन ग्रामवार परिवारों की सूची जो आर०एस०बी०८०५० में आच्छादित होने योग्य हैं, को भी आशाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी।
3. आशाओं द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचनाएं प्रमाणित कर उपलब्ध करवाई जाएंगी जिन्हें एकत्रित कर ब्लाक स्तर पर लाया जाएगा।
4. ब्लाक स्तर पर बीमा कंपनी द्वारा एक कार्यालय स्थापित किया जाएगा जहां ग्राम स्तर से एकत्रित प्रपत्रों को प्राप्त किया जाएगा।
5. उक्त प्राप्त प्रपत्रों में परिवार के 18 वर्ष से कम आयु के सदस्यों का विवरण एवं परिवार के मोबाईल नॉ. आधार कार्ड संख्या, अन्य आवश्यक विवरण भी एकत्रित किये जायेंगे, जिसके आधार पर मतदाताओं के डाटाबेस में संशोधन किया जाएगा।
6. उपरोक्त संशोधित डाटाबेस के आधार पर संभावित लाभार्थी परिवारों को एक साधारण लास्टिक कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्ड पर परिवार के मुखिया की फोटो, मतदाता पहचान पत्र संख्या, परिवार संख्या / यूआर०एन० एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम, आयु, लिंग, मतदाता पत्र संख्या एवं अन्य विवरण मुद्रित होंगे।
7. मुद्रित किये गए लास्टिक कार्ड को आशाओं के माध्यम से ही ग्रामवार लाभार्थी परिवारों को वितरित किया जाएगा। प्रपत्र प्रमाणित करने, एकत्रित कर ब्लाक स्तर पर हुंचाने एवं मुद्रित लास्टिक कार्ड को पुनः परिवारों को उपलब्ध करवाने हेतु एक निर्धारित मानदेय बीमा कंपनी के स्तर से आशाओं को दिया जाएगा। कार्ड मुद्रित करने एवं डाटाबेस में संशोधन करने के लिए तथा ब्लाक स्तर पर कार्यालय स्थापित करने का व्य भी बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा जिसके लिए बीमा कंपनी को प्रीमियम धनराशि के अतिरिक्त पृथक रूप से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। राज्य नोडल एंजेंसी द्वारा प्रपत्रों को मुद्रित करवाने, ग्राम स्तर तक प्रेषित करवाने एवं पुनः एकत्रित कर ब्लाक स्तर तक उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी का निवहन किया जाएगा एवं व्ययभार वहन किया जाएगा।
8. समस्त एकत्रित प्रपत्र, मुद्रित लास्टिक कार्ड एवं संशोधन अंतिम डाटाबेस राज्य सरकार की संपत्ति होंगे एवं बीमा कंपनी द्वारा अथवा किसी अन्य सरकारी अथवा निजी संस्थाओं को इसके प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
9. वितरित किये गए लास्टिक कार्ड की संख्या के आधार पर ही बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान का निर्धारण किया जाएगा।
10. प्रति लास्टिक कार्ड प्रति परिवार को रु० ३०/- मात्र का भुगतान पंजीकरण शुल्क के रूप में करना होगा। पंजीकरण शुल्क का राज्य नोडल एंजेंसी द्वारा, योजना को संचालित करने हेतु प्रशासनिक व्ययभार हेतु उपयोग किया जाएगा।

३— मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवारों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा :-

1. मतदाताओं के डाटाबेस के आधार पर लाभार्थी परिवारों की "अंतरिम सूची" जिसमें परिवार के मुखिया का नाम, पिता / पति का नाम, आयु, लिंग, मतदाता पहचान पत्र संख्या दर्ज है एवं उस परिवार के अंतर्गत आश्रितों की संख्या अंकित होगा, को परिवार के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
 2. सभी मतदाता एक ही परिवार के मूल सदस्य हैं परन्तु अलग-अलग परिवारों के रूप में एक ही स्थान पर निवास कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में इन्हें एक ही परिवार माना जाएगा।
 3. किसी मकान में कुछ मतदाता जो एक परिवार के हैं परन्तु उक्त मकान में कियायेदार के रूप में निवास करते हैं, ऐसी अवस्था में उन्हें अलग परिवार माना जाएगा और उन्हें अलग कार्ड जारी किया जाएगा।

4. किसी भी परिवार में सदस्यों की संख्या में कोई भी ऊपरी सीमा तय नहीं है अर्थात् परिवार के समस्त सदस्य आच्छादित किये जाएंगे। (वर्तमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में परिवार के अधिकारम् पाण्य सदस्य ही आक्षण्डित किये जाते हैं)

5. लाभार्थी परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे लास्टिक कार्ड पर परिवार के मुखिया की फोटो, मतदाता पहचान पत्र संख्या, परिवार संख्या / यूआरएन० एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम, आयु, लिंग, मतदाता पत्र संख्या एवं अन्य विवरण मुद्रित होंगे।
 6. प्रस्तावित योजना का लाभ दिनांक 01.04.2015 से आगामी 06 माह अर्थात दिनांक 30.09.2015 तक हिया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभार्थीयों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया दिनांक 31.03.2015 तक पूरी कर ली जाएगी। पंजीकरण अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है, जिन परिवारों का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वे प्रदेश के निवासी हैं उन परिवारों के पंजीकरण हेतु जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला अधिकारी द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी जो उक्त हेतु निर्णय लेगी। बीमा अवधि को आवश्यकता के अनुरूप अधिकतम 06 माह हेतु विस्तारित किया जा सकेगा।
 7. कार्ड का उपयोग चिन्हित चिकित्सालयों में चिन्हित व्याधियों के लिये नकदरहित लाभ प्राप्त करने के लिये किया जायेगा।
 8. प्रत्येक बार चिकित्सा लाभ प्राप्त करने की दशा में लाभार्थीयों को उनके पंजीकृत मोबाइल नं० पर समुचित जानकारी का संक्षिप्त संवाद प्रेषित किया जाएगा। इस व्यवस्था हेतु बीमा कंपनी द्वारा एक कॉल सेंटर का संचालन किया जाएगा, जिसकी नियानी राज्य नोडल एजेंसी द्वारा नियमित रूप से की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त राज्य नोडल एजेंसी द्वारा भी समय समय पर पंजीकरण मोबाइल न० पर लाभार्थीयों को योजना संबंधी उपयोगी सुचनाएँ प्रदान की जाएंगी।

9. चिन्हित व्याधियों की सूची संलग्न है। (संलग्नक-1)
10. बीमा करव प्रति वर्ष प्रति परिवार $\text{₹}0$ $50,000/-$ ($\text{₹}0$ पचास हजार) तक नियमित की गई है। फिलहाल प्रस्तावित मुख्यमंत्री खात्थ बीमा योजना की पॉलिसी को अवधि 06 माह के लिए प्रस्तावित है किंतु बीमा करव $\text{₹}0$ $50,000/-$ ही रहेगा यदि अवधि विस्तारित होती है तो उस

- स्थिति में भी प्रति परिवार को अधिकतम रु 50,000/- का बीमा करव प्राप्त होगा।
11. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सालय में भर्ती होने की दशा में पूर्ण निधारित होंगे। पर ही संबंधित घिकित्सालय द्वारा पैकेज के रूप में लाभ प्रदान किया जायेगा। लाभार्थी

द्वारा तब तक किसी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी जब तक चिकित्सा व्यय की धनराशि बीमित राशि की सीमा से अधिक न हो जाए।

12. इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की बड़ी वाह्य रोगी जांचें (OPD Diagnostic services) जैसे एम०आर०आई०, सी०टी० स्कैन, कलर डॉप्लर, ईकोटी०एम०टी० आदि भी उक्त योजना के अंतर्गत केवल राजकीय चिकित्सालयों में अनुमन्य होंगे जोकि चिन्हित व्याधियों की सूची का एक भाग है।

4— बीमा कंपनी का चयन :-

- वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन भारत सरकार के उपकम "यूनाईटेड इंडिया बीमा कंपनी" के माध्यम से किया जा रहा है। बीमा कंपनी का चयन भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2012 में प्रतिस्पर्धी निविदाओं की प्रक्रिया के आधार पर किया गया है एवं कंपनी के साथ वर्तमान अनुबंध दिनांक 31.07.2015 तक मान्य है। वर्तमान अनुबंध का विस्तार दिनांक 30.09.2015 तक किया जाना है, जिससे की वर्तमान बीमा कंपनी द्वारा ही कार्य संपादित किया जाएगा।
- बीमा कंपनी द्वारा नवीन नियमों एवं शर्तों के आधार पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिस हेतु आवश्यक undertaking बीमा कंपनी के प्रधान कार्यालय द्वारा सहमति दी गयी है। (संलग्नक-2)
- बीमा कंपनी को मान्यता प्राप्त TPA (Third Party Administrator) को नियुक्त करने का अधिकार होगा किंतु इसकी समस्त सूचना कंपनी को राज्य नोडल एजेन्सी को देना अनिवार्य होगी।

5— बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान हेतु व्यवस्था निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

- रु० 50,000 तक के लाभ के लिये निर्धारित प्रीमियम दर (रु०३३५)X कुल आर०एस०बी०वाई० आच्छादित परिवारों की संख्या का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। आर०एस०बी०वाई० योजना में भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशा-निर्देशों की आधिकारिक अधिसूचना/निर्देश अभी निर्गत नहीं हुए हैं। भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में आर०एस०बी०वाई० में आच्छादन योग्य परिवारों के प्रीमियम का 75 प्रतिशत अंशदान नहीं किया गया तो उक्त धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- आर०एस०बी०वाई० आच्छादित परिवारों के अतिरिक्त, एम०एस०बी०वाई० के अंतर्गत आच्छादित परिवारों हेतु रु० 50,000 तक के लाभ के लिये निर्धारित प्रीमियम दर (रु०३३५)X कुल एम०एस०बी०वाई० आच्छादित परिवारों की संख्या का शतप्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
- चूंकि वर्तमान पॉलिसी अवधि 06 माह के लिए ही निर्धारित की गई है अतः pro rata basis पर निर्धारित दरों पर प्रति परिवार रु० 50,000/- तक के लाभ के लिए भुगतान रु० 168.00 आंकलित किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि पॉलिसी का विस्तार 06 माह से बढ़ाकर 01 वर्ष किये जाने की अवस्था में कुल प्रीमियम प्रति परिवार रु० 335/- ही देय होगा।
- वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा रु० 335/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर पर रु० 30,000/- तक का बीमा कवर दिया जा रहा है। प्रस्तावित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु भी बीमा कंपनी इसी दर पर रु० 50,000/- तक का बीमा कवर प्रदान करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा सहमति दी गई है।

5. बीमा कंपनी द्वारा चिकित्सालयों को पूर्व निर्धारित पैकेज दरों पर लाभार्थियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान संशोधित आरएस०बी०वाई० के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नियमानुसार किया जायेगा।
6. मुख्यांत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निर्गत कार्ड खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में दोबारा कार्ड जारी करने हेतु लाभार्थी को एफ०आईआर० की मूल प्रति एवं प्रति कार्ड रु० 200/- का भुगतान करना होगा तथा यह धनराशि राज्य नोडल एंजेसी के खाते में जमा की जाएगी।

- 6-** योजना के अंतर्गत चिकित्सालयों के पंजीकरण, कार्ड धारकों को लाभ प्रदान करना, कलेम के भुगतान, शिकायतों के निषादन एवं अच मामलों के निस्तारण हेतु निमानुसार कार्यवाही की जायेगी :-
1. वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित समस्त चिकित्सालय यथावत पंजीकृत रहेंगे। नए चिकित्सालयों के पंजीकरण हेतु राज्य नोडल एंजेसी द्वारा बीमा कंपनी को सूची प्रदान की जाएगी जिसके पंजीकरण हेतु चिकित्सालयों से द्विपक्षीय अनुबंध करना होगा। चिकित्सालयों के पंजीकरण की प्रक्रिया बीमा कंपनी द्वारा भी अपने स्तर से की जाएगी तथा तदनुसार एक सप्ताह के अंतर्गत राज्य नोडल एंजेसी को सूचित करेगी। अनुबंध की समरत शर्तें एवं पंजीकरण की प्रक्रिया संशोधित आरएस०बी०वाई० नियमों के अनुसार होगी।
 2. चिकित्सालयों के निष्कासन की प्रक्रिया संशोधित आरएस०बी०वाई० नियमों के अनुसार होगी परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय राज्य नोडल एंजेसी द्वारा लिया जाएगा।
 3. कार्ड धारक किसी भी पंजीकृत सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत हो सकते हैं। सरकारी चिकित्सालयों में लाभ प्राप्त करने हेतु बीमा कंपनी द्वारा किसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में लाभ प्राप्त करने से पूर्व चिन्हित आक्रिमक व्याधियों के अतिरिक्त समस्त दशाओं में पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 4. पर्वतीय क्षेत्रों के चिकित्सालयों के लिए बीमा कंपनी को वार घंटों एवं मेदानी क्षेत्रों के चिकित्सालयों के लिए बीमा कंपनी द्वारा 03 घंटों के अंदर पूर्व अनुमति प्रदान की जाएगी। पूर्व अनुमति के संबंध में निर्धारित अवधि के अंतर्गत कोई सूचना न प्राप्त होने ही दशा में चिकित्सा प्रक्रिया को स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।
 5. समस्त कलेम, जिनकी पूर्व अनुमति प्रदान की जाएगी (केवल पंजीकृत निजी चिकित्सालयों हेतु) उनका भुगतान निर्धारित दरों पर 30 दिनों के अंदर चिकित्सालय को करना बीमा कंपनी के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई कलेम अनुचित पाया जाता है तो उसकी पूर्व अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी अर्थात किसी कलेम की पूर्व अनुमति को नकारने की दशा में चिकित्सालय द्वारा लाभार्थी को सूचित कराया जाएगा एवं इसकी सूचना राज्य नोडल एंजेसी के जनपद रस्तर पर नियुक्त संबंधित अधिकारी को दी जाएगी एवं संबंधित अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार इस विषय में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
- 7-** योजना के संचालन के आधिकारिक दायित्व, वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां पूर्व से ही संचालित आरएस०बी०वाई० के राज्य नोडल एंजेसी में निहित रहेंगी जोकि उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवर कल्याण समिति के नियमों के अंतर्गत कार्य करेगी तथा कालांतर में राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित समस्त स्वास्थ्य बीमा योजनाओं एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजनाओं के संयुक्त संचालन के लिये एक पृथक प्रकोष्ठ का गठन किये जाने की कार्यवाही करते हुये समिति अथवा नियम के रूप में पंजीकृत किया जायेगा।

8— योजना के सुचारू संचालन के लिये राज्य नोडल एजेन्सी के गठन तथा राज्य एवं जिला स्तर पर अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता को (संलग्नक-3) के अनुरूप रखा जायेगा। इस योजना हेतु मानव संसाधन पर होने वाला समस्त व्यय—भार पंजीकरण शुल्क से प्राप्त धनराशि से वहन किया जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—335(P)XXVII(3)/2014-15, दिनांक 11 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
Om Prakash,
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।
✓

संख्या—100(1)XXVIII-4-2015-58/2014T.C., तददिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव—श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव—मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. स्टॉफ आफिसर—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
13. चीफ रिज़नल मैनेजर, यूनाईटेड इंडिया इन्ड्यूरेन्स कंपनी लि०, चेन्नई।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-३ एवं १/नियोजन विभाग/एन०आई०सी०।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Atar Singh,
(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।